भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *219

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाना

†*219. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान किए जाने की स्थिति में सुधार करने के लिए विगत बारह वर्षों के दौरान मुख्य पहल की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 आरंभ की है और यदि हां, तो एमएसएमई के लिए गारंटी कवरेज और विमानन क्षेत्र हेतु सहायता सहित इसके अंतर्गत लक्षित अतिरिक्त ऋण देयता का ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में जिला-वार ऐसी कितनी एमएसएमई इकाइयां हैं जिन्हें विगत दो वर्षों के दौरान सिडबी और ईसीएलजीएस के माध्यम से ऋण, गारंटी और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार जनजातीय और आकांक्षी क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई इकाइयों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री योगेन्द्र चांदोलिया एवं श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

i. अप्रत्यक्ष ऋण:

बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और एमएफआई को पुनर्वित्त और ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग इन संस्थानों द्वारा एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। इससे गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) सृजित होता है और एमएसएमई के ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, सिडबी का कुल अप्रत्यक्ष ऋण पोर्टफोलियो 5.24 लाख करोड़ रुपये है।

ii. प्रत्यक्ष ऋण:

- शाखा बैंकिंग: 167 शाखाओं के सिडबी शाखा नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई को सीधे वित्तीय ऋण सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, साझेदार संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाकर विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म ऋण दिया जाता है जहां कारोबारी संस्थाओं, विशेष रूप से छोटे और महिला उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- साझेदारी के माध्यम से ऋण देना
 - सूक्ष्म ऋण- इसके अतिरिक्त, साझेदार संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाकर विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म ऋण दिया जाता है जहां कारोबारी संस्थाओं, विशेष रूप से छोटे और महिला उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
 - सह-ऋण: बैंक ने छोटे एमएसएमई, विशेष रूप से नए उधारकर्ताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए सुविधावंचित/अल्पसेवित एमएसएमई तक पहुंचने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में एनबीएफसी और आरआरबी के साथ सह-ऋण व्यवस्था पर एक उत्पाद लॉन्च किया।
- डिजिटल ऋण
 - जीएसटी सहाय: सिडबी ने व्यापार डेटा और डिजिटल ढांचे का उपयोग करके सूक्ष्म उद्यमों को 'ऑन टैप' इनवॉयस-आधारित (नकदी प्रवाह आधारित) छोटे मूल्य के ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप आरंभ किया।
 - ट्रेड्स: सिडबी एमएसएमई को समय पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए सभी पांचों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में भाग ले रहा है।

iii. सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ):

क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई क्लस्टरों में अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को कम लागत वाले वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एससीडीएफ की स्थापना की गई है।

iv. क्षेत्रीय विकास कार्य/हितधारकों के बीच समन्वय

ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों के आधुनिकीकरण और उनकी उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए, सिडबी ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण (एमओआरई) कार्यक्रम लागू कर रहा है, जो क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण सहायता दोनों प्रदान करता है।

(ख): सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सिडबी द्वारा बैंकों को पुनर्वित्त के संबंध में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिए, विभिन्न ऋणदाता संस्थाओं को सिडबी के संपूर्ण पुनर्वित्त पोर्टफोलियो के लिए राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले पांच वर्षों में सिडबी द्वारा एमएसएमई को प्रदान किए गए प्रत्यक्ष ऋण का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडों का रखरखाव नहीं किया जाता हैं। राजस्थान के पाली जिले के प्रत्यक्ष ऋण से संबंधित डेटा अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(**ग**): सरकार ने मई, 2026 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 आरंभ की है। इस योजना के तहत, एमएसएमई वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान बकाया पीक फंड-आधारित कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र हैं। यह योजना पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऐसी अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए डिफॉल्ट राशि के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए, गारंटी कवरेज 90% है। तथापि, अनुसूचित यात्री एयरलाइंस वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान कुल पीक ऋण बकाया (फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित दोनों) के 100% तक अतिरिक्त ऋण हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई और अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह की परिकल्पना की गई है।

(घ): मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में ईसीएलजीएस 5.0 के अंतर्गत एमएसएमई को सिडबी द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष ऋण का ब्यौरा और एमएसएमई को जारी की गई गारंटियों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) आय सृजक कार्यकलाप और स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) शामिल हैं। ये योजनाएं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की आय सृजन, उद्यमिता विकास और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2024 में अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 3.75% से 4% प्रति वर्ष की कम ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये-5 करोड़ रुपये की रियायती वित्तीय सहायता के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (वीसीएफ-एसटी) आरंभ किया। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा प्रेरित प्रौद्योगिकी-उन्मुख और अभिनव स्टार्ट-अप के लिए 30 लाख रुपये तक की इनक्यूबेशन सहायता भी प्रदान करती है।

अनुबंध- I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों में सिडबी द्वारा एमएसएमई को प्रदान किए गए प्रत्यक्ष ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2021-2022					
क्र.सं.	**राज्य**	**स्वीकृति राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	118	116.86	100.63	255.54
3	असम	7	8.41	2.90	6.93
4	बिहार	12	18.61	13.06	26.10
5	चंडीगढ़	27	23.90	22.53	65.99
6	छत्तीसगढ	36	40.75	28.08	50.42
7	दादरा और नगर हवेली	10	21.98	22.69	56.19
8	दमन और दीव	5	1.48	1.48	12.45
9	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	289	354.01	291.56	751.35
10	गोवा	34	27.25	21.38	47.18
11	गुजरात	979	1329.80	1181.79	3288.68
12	हरियाणा	477	482.78	450.31	1062.32
13	हिमाचल प्रदेश	37	42.85	37.36	76.04
14	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	0.07
15	झारखंड	41	42.90	36.45	72.79
16	कर्नाटक	267	272.15	233.64	508.31
17	केरल	170	120.89	122.85	274.72
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	123	145.05	135.48	327.72
21	महाराष्ट्र	920	859.58	830.78	1767.69
22	मणिपुर	1	0.89	0.53	0.70
23	मेघालय	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	42	31.70	24.23	68.89
27	पुदुचेरी	20	14.70	14.63	40.29
28	पंजाब	275	284.94	263.02	588.28
29	राजस्थान	430	372.78	377.67	1188.44
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	920	960.26	916.07	2047.18
32	तेलंगाना	104	118.91	129.69	335.89
33	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	280	282.06	247.78	598.28
35	उत्तराखंड	108	114.06	88.82	300.79
36	पश्चिम बंगाल	46	34.62	28.48	111.11
कुल योग		**5778**	**6124.17**	**5623.89**	**13930.34**

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2022-2023					
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	86	144.40	122.61	290.42
3	असम	7	9.46	8.89	14.43
4	बिहार	7	20.41	11.68	34.97
5	चंडीगढ़	20	22.40	15.52	47.86
6	छत्तीसगढ	33	65.31	42.78	82.02
7	दादरा और नगर हवेली	8	12.79	15.20	52.44
8	दमन और दीव	5	6.16	2.74	11.40
9	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	218	464.90	335.54	877.60
10	गोवा	24	28.23	25.40	61.88
11	गुजरात	955	1669.86	1337.59	3946.84
12	हरियाणा	315	465.06	402.44	1149.90
13	हिमाचल प्रदेश	26	34.64	26.50	75.49
14	जम्मू और कश्मीर	2	7.85	3.66	3.66
15	झारखंड	71	86.06	74.83	128.47
16	कर्नाटक	272	434.32	343.67	727.81
17	केरल	83	96.62	94.53	302.97
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	88	154.62	135.22	360.75
21	महाराष्ट्र	733	1146.89	848.45	2094.02
22	मणिपुर	0	0.00	0.36	0.88
23	मेघालय	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	73	102.35	71.31	130.95
27	पुदुचेरी	28	50.56	28.67	56.67
28	पंजाब	277	404.08	372.18	780.94
29	राजस्थान	427	717.57	506.95	1424.91
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	845	1279.66	1151.38	2598.34
32	तेलंगाना	63	115.53	83.84	340.09
33	त्रिपुरा	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	201	314.73	242.49	647.77
35	उत्तराखंड	76	112.90	89.92	279.62
36	पश्चिम बंगाल	36	52.94	43.07	127.53
कुल योग		**4979**	**8020.30**	**6437.42**	**16650.63**

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2023-2024					
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	150	306.56	216.32	424.15
3	असम	6	12.65	16.41	27.46
4	बिहार	20	50.74	41.99	71.43
5	चंडीगढ़	13	13.35	19.13	50.34
6	छत्तीसगढ	33	61.28	45.29	117.37
7	दादरा और नगर हवेली	8	14.06	12.81	39.20
8	दमन और दीव	4	2.31	4.49	11.22
9	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	256	639.91	569.27	1192.72
10	गोवा	30	27.53	27.69	73.03
11	गुजरात	1545	2878.41	2238.13	5303.52
12	हरियाणा	457	702.41	589.19	1388.67
13	हिमाचल प्रदेश	45	60.55	48.92	99.98
14	जम्मू और कश्मीर	5	3.85	4.66	7.43
15	झारखंड	75	152.04	128.72	227.61
16	कर्नाटक	454	736.77	583.54	1106.99
17	केरल	176	223.42	176.36	382.48
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	143	261.41	222.34	477.15
21	महाराष्ट्र	946	1589.83	1378.79	2842.18
22	मणिपुर	0	0.00	0.00	0.67
23	मेघालय	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	1	2.54	2.54	2.54
26	ओडिशा	86	168.80	98.08	203.77
27	पुदुचेरी	33	43.02	49.34	87.31
28	पंजाब	411	537.14	438.37	993.63
29	राजस्थान	520	777.68	606.06	1730.32
30	सिक्किम	1	0.38	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1323	2340.70	1897.50	3753.73
32	तेलंगाना	79	175.93	151.30	401.98
33	त्रिपुरा	1	0.46	0.45	0.45
34	उत्तर प्रदेश	333	461.91	374.78	847.72
35	उत्तराखंड	120	203.34	186.74	384.78
36	पश्चिम बंगाल	85	131.97	96.89	197.62
कुल योग		**7359**	**12580.95**	**10226.10**	**22447.45**

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2024-25					
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	134	203.73	241.55	560.67
3	असम	12	31.82	16.22	40.50
4	बिहार	34	62.75	49.33	108.57
5	चंडीगढ़	26	34.63	26.32	56.71
6	छत्तीसगढ	37	87.75	71.64	142.66
7	दादरा और नगर हवेली	2	2.77	2.85	28.53
8	दमन और दीव	9	16.29	7.30	14.12
9	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	276	644.47	548.35	1416.21
10	गोवा	24	24.67	19.63	72.23
11	गुजरात	1721	3773.54	3099.24	7225.59
12	हरियाणा	565	842.88	725.70	1660.42
13	हिमाचल प्रदेश	50	78.07	53.71	119.38
14	जम्मू और कश्मीर	6	7.58	5.79	10.77
15	झारखंड	98	113.58	99.27	287.17
16	कर्नाटक	544	1084.68	843.37	1621.32
17	केरल	215	226.95	190.34	465.73
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	181	311.77	259.45	594.36
21	महाराष्ट्र	1077	1971.34	1738.05	3727.85
22	मणिपुर	2	1.82	1.82	2.27
23	मेघालय	1	0.25	0.25	0.25
24	मिजोरम	1	1.60	1.60	1.60
25	नागालैंड	10	13.10	12.88	14.94
26	ओडिशा	104	138.84	123.39	285.84
27	पुदुचेरी	30	29.39	37.99	102.22
28	पंजाब	493	619.88	539.97	1206.00
29	राजस्थान	627	953.46	810.31	2117.41
30	सिक्किम	0	0.00	0.38	0.31
31	तमिलनाडु	1610	3055.58	2657.53	5354.58
32	तेलंगाना	116	248.57	179.03	475.61
33	त्रिपुरा	2	0.36	0.25	0.63
34	उत्तर प्रदेश	368	639.81	572.40	1168.35
35	उत्तराखंड	101	174.42	137.08	428.15
36	पश्चिम बंगाल	105	149.64	130.58	270.65
कुल योग		**8581**	**15545.99**	**13203.57**	**29581.60**

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2025-2026					
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	227	419.16	305.01	690.78
3	असम	8	21.47	19.67	55.94
4	बिहार	47	71.41	60.85	147.08
5	चंडीगढ़	17	10.42	9.16	37.73
6	छत्तीसगढ	73	242.13	142.44	237.48
7	दादरा और नगर हवेली	6	10.05	13.31	37.36
8	दमन और दीव	17	34.88	33.09	51.28
9	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	406	1090.66	670.31	1657.90
10	गोवा	14	18.62	14.77	66.54
11	गुजरात	2229	5483.94	4148.33	9694.68
12	हरियाणा	897	1430.52	947.27	2119.61
13	हिमाचल प्रदेश	82	118.13	93.56	187.72
14	जम्मू और कश्मीर	6	40.07	28.04	40.37
15	झारखंड	107	137.65	85.91	309.12
16	कर्नाटक	733	1705.62	1232.77	2412.31
17	केरल	190	235.46	204.66	533.02
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	260	552.27	417.57	817.60
21	महाराष्ट्र	1461	3128.76	2438.69	5113.54
22	मणिपुर	1	0.54	0.54	2.26
23	मेघालय	2	0.59	0.28	0.51
24	मिजोरम	0	0.00	0.00	1.48
25	नागालैंड	0	0.00	0.00	13.10
26	ओडिशा	151	191.94	136.84	367.64
27	पुदुचेरी	45	93.12	72.07	145.31
28	पंजाब	643	1034.12	782.92	1712.01
29	राजस्थान	821	1687.09	1223.31	2877.64
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.23
31	तमिलनाडु	2028	4365.97	3422.73	7382.30
32	तेलंगाना	165	634.66	363.49	760.62
33	त्रिपुरा	1	0.15	0.15	0.33
34	उत्तर प्रदेश	597	1092.70	727.36	1516.73
35	उत्तराखंड	134	275.41	228.39	568.66
36	पश्चिम बंगाल	145	195.25	142.27	335.68
कुल योग		**11513**	**24322.76**	**17965.76**	**39894.56**

अनुबंध- II

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध-II

राजस्थान के पाली जिले में पिछले पांच वर्षों में सिडबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण का ब्यौरा

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**ज़िला**	**स्वीकृत राशि**		**संवितरण राशि**	**वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**		
2021-22	पाली	0	0	0	1
2022-23		1	1	1	1
2023-2		4	3	2	3
2024-2		4	2	1	4
2025-2		11	8	6	8

अनुबंध- III

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध-III

मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिले में सिडबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण का ब्यौरा

(राशि, करोड़ रुपये में)

	2024-25		2025-26	
जिला-वार	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
अलीराजपुर	0	0	0	0
रतलाम	0	0	4	11
झाबुआ	0	0	2	30

नोट: सिडबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सिडबी द्वारा बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने से संबंधित आंकडों का रखरखाव नहीं किया जाता है। इसलिए, सिडबी द्वारा विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं के संपूर्ण पुनर्वित्त पोर्टफोलियो का राज्य-वार/जिले-वार आंकडे उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2026-27(30.06.2026 तक) में ईसीएलजीएस 5.0 के तहत मध्य प्रदेश के रतलाम , झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में एमएसएमई को जारी की गई गारंटियों की जानकारी

(राशि, करोड़ रुपये में)

जिला-वार	**गारंटियों की संख्या**	**मात्रा**
अलीराजपुर	30	2.38
रतलाम	548	129.38
झाबुआ	91	21.99

नोट: ईसीएलजीएस 5.0 को मई 2026 में आरंभ किया गया है।
